उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद सं0 – 08/2022

मधु बेरलिया बनाम झारखण्ड राज्य नीलवर्ष वाटर ग्रेस वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
14-05-2022	**आदेश**	

यह वाद अपीलार्थी मधु बेरलिया पति अशोक कुमार बेरलिया सा0 गोला रोड, रामगढ़ कैण्ट, थाना रामगढ़ जिला रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा जिला अवर निबंधक, रामगढ़ के द्वारा दिनांक 18.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 72 of Registration Act, 1908, R/W Section 49 of CNT Act, 1980 के तहत अपील दायर के आधार पर प्रारम्भ की गई। वाद को अंगीकृत करते हुए अचंल अधिकारी, माण्डू से भूमि प्रतिवेदन की मांग की गई।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, अंचल अधिकारी, माण्डू का प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, अंचल अधिकारी, माण्डू का प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी खरीदगी भूमि मौजा पोचरा, परगना जगेशर, थाना न0 151 तौजी न0 28 खेवट न0 01 थाना माण्डू जिला रामगढ़ का खाता न0 34 प्लॉट न0 955 रकवा 1.35 ए0 मध्ये 1.00 ए0 भूमि चौहद्दी उ0 – खाली भूमि द0–मधु बेरलिया पु0–ग्रामीण रास्ता प0–मधु बेरलिया को द्वितीय पक्ष नीलवर्ष वाटर ग्रेस वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0 को बिक्री किया जाना है।

उक्त भूमि के निबंधन के समय जिला अवर निबंधक, रामगढ़ द्वारा मंतव्य दिया गया है कि प्रस्तुत दस्तावेज के उपस्थापक श्रीमती मघु बेरलिया पति अशोक कुमार बेरलिया एवं लेख्यकारी श्री दीपक कुमार जैन पिता श्री रतन कुमार जैन ने वक्तव्य दिया कि दस्तावेज में उल्लेखित भूमि का क्रय उद्योग लगाने हेतु किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के तहत उपायुक्त के आदेश के उपरांत निबंधन का प्रावधान है। अतः उपायुक्त के आदेश के प्राप्ति के उपरांत दस्तावेज पुनः उपस्थापित करें।

सरकारी अधिवक्ता ने इस सन्दर्भ में बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि का विक्रेता सामान्य जाति (अग्रवाल) है। इसलिए उक्त दस्तावेज के निष्पादन में उपायुक्त की अनुमति का कोई प्रावधान नही है। अंचल अधिकारी, माण्डू ने अपने पत्राक 853 दिनांक 13.05.2022 द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी मघु बेरेलिया पति अशोक कुमार बेरेलिया, गोला रोड, पो0+जिला रामगढ़ झारखण्ड के निवासी है। स्थानीय जांच एवं केवाला संख्या 19450 दिनांक 23.12.2004 के अनुसार आवेदिका के जाति अग्रवाल दर्ज है।

अंचल अधिकारी, माण्डू के पत्रांक 291 दिनांक 30.12.2020 के अनुसार भूमि जांच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है – 1. आवेदक श्रीमती मघु बरेलिया पिता श्री अशोक कुमार बरेलिया पता गोला रोड, रामगढ़ थाना रामगढ़ जिला रामगढ़। 2. आवेदित भूमि किस ग्राम में अवस्थित है – पोचरा। 3. थाना संख्या – 151. 4. खाता संख्या – 34. प्लॉट संख्या – 955. रकवा – 1.35 ए0 मध्ये 1.00 ए0। 7. भूमि का प्रकार – रैयती। 8. खतियानी रैयत का नाम – होरिल महतो वगैरह। 9. खतियानी रैयत का जाति – गोवाला। 10. पंजी ।। में वर्तमान जमाबंदीदार का नाम – श्रीमती मघु बरेलिया। 11. आवेदित भूमि प्रतिबंधित सूची में दर्ज है अथवा नही –

81-

नही। 12. भूमि विक्रेता का जमाबंदीदार से संबंधित – स्वयं। 13. पंजी ।। में कायम जमाबंदी का रकवा – 1.35 ए0।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के अनुसार प्रश्नगत भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के दायरे से बाहर है। जिला अवर निबंधक, रामगढ़ को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के बावत विधिसम्मत् कार्रवाई करते हुए निबंधन का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, रामगढ़ को भेजे।

उपरोक्त मंतव्य के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित
माधवी मिश्रा
14.05.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
14.05.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.25 17:08:00 +05:30
Location: 192.168.0.4